राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	359/2026 मुकेश बनाम लालचन्द हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
02/04/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई | अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित | अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस प्रार्थना पत्र स्थगन पर सुनी गयी | अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | दौराने बहस उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किये जाने से यह स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश एक अन्तरिम आदेश है एवं अपीलार्थी के पास अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर मौजूद है तथा अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों को सुनकर युक्तियुक्त आदेश पारित किया जाना अभी शेष है | इसके अतिरिक्त अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस उन्नत कृषि की आवश्यकता पूर्ति हेतु अपनी भूमि को रहन रखने की स्वीकृति प्रदान करने का अनुतोष चाह गया है | ऐसेमें प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को दोनों पक्षों की सुनवाई शीघ्रता से कर युक्तियुक्त आदेश पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझा जाता है | अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय को प्रकरण इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे अपीलार्थी की सुनवाई उनके समक्ष नियत आगामी पेशी दिनांक 20/04/2026 को अनिवार्य रूप से करते हुये युक्तियुक्त एवं विधिसम्मत आदेश पारित करे | तब तक न्यायहित में अपीलार्थी को अपनी आराजी को रहन रखने की शिथिलता प्रदान की जाती है एवं इस हद तक अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 16/03/2026 का प्रभाव स्थगित रखा जाता है | तदनुसार अपील निस्तारित की जाती है | पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो | निर्णय आज दिनांक 02/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया | राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर